पंद्रह शाबान की रात को विशिष्ट रुप से ख़ैरात करना

﴿ تخصيص الصدقة بليلة النصف من شعبان ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ تخصيص الصدقة بليلة النصف من شعبان ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पंद्रह शाबान की रात को विशिष्ट रुप से खैरात करना

प्रश्नः

मेरे पिता ने अपने जीवन में मुझे यह वसीयत की थी क मैं अपनी यथा शक्ति हर वर्ष पंद्रह शाबान की रात को खैरात कया करूँ। और वास्तव में, अभी तक मैं ऐसा करता रहा हूँ। किन्तु कुछ लोगों ने इस पर मेरी निंदा करते हुए कहा कि ऐसा करना आप के लिए जाइज़ नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या मेरे पिता की वसीयत के अनुसार पंद्रहवीं शाबान की रात को यह खैरात करना जाइज़ है, या जाइज़ नहीं है ? हमें शरीअत के हुक्म की जानकारी प्रदान करें, सर्वशक्तिमान अल्लाह आप को अच्छा बदला दे।

उत्तरः

इस खैरात (सदक़ा) को प्रति वर्ष पंद्रह शाबान के साथ विशिष्ट करन एक बिदअत (धर्म के अंदर नवाचार) हैं, जो जाइज़ नहीं है, भले ही आपके पिता ने इसकी वसीयत की है। तथा आप इस खैरात को इस प्रकार लागू कर सकते हैं कि आप इसे पंद्रह शाबान के साथ विशिष्ट न करें, बल्कि किसी निश्चित महीने को निर्धारित किए बिना आप हर वर्ष साल के किसी भी महीने में उसे खैरात कर दिया करें। और इसे रमज़ान के महीने में करना सर्वश्रेष्ठ है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दया और शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के फतावा (3/77) से।